संख्या-184/2016/729/22-2-2016-17(37)/2007

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2016***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्यारे पुत्र श्री रामनरेश, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3265/पर-3(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्यारे पुत्र श्री रामनरेश, निवासी ग्राम-लोहंगापुर, थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। राजनैतिक कारणों को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 02-06-1996 को अपरान्ह लगभग 05:30 बजे बाजार में सब्जी खरीद रहे मिन्टू सिंह एवं संतोष पर हथगोले से हमला किया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा कई लोग घायल हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-498/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34,307/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा दिनांक 29-01-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2015 तक 19 वर्ष 02 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 05 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, हरदोई की आख्या के दृष्टिगत बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि राजनैतिक कारणों को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 02-06-1996 को अपरान्ह लगभग 05:30 बजे बाजार में सब्जी खरीद रहे मिन्टू सिंह एवं संतोष पर हथगोले से हमला किया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा कई लोग घायल हो गये। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा किए गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्यारे पुत्र श्री रामनरेश, निवासी जनपद-हरदोई को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी प्यारे (बन्दी संख्या-21863) पुत्र श्री रामनरेश, निवासी जनपद-हरदोई के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-184/2016/729(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्ंया-184/2016/729@22-2-2016-17(37)/2007**

**दिनांक 30 सितम्बर, 2016 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्यारे (बन्दी संख्या-21863) पुत्र श्री रामनरेश, निवासी ग्राम लोहगापुर, थाना-कासिमपुर, जनपद-हरदोई का निवासी है। राजनैतिक कारणों को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 02-06-1996 को अपरान्ह लगभग 05:30 बजे बाजार में सब्जी खरीद रहे मिन्टू सिंह एवं संतोष पर हथगोले से हमला किया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा कई लोग घायल हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-498/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34,307/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई द्वारा दिनांक 29-01-2000 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.12.2015 तक 19 वर्ष 02 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 05 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, हरदोई की आख्या के दृष्टिगत बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि राजनैतिक कारणों को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 02-06-1996 को अपरान्ह लगभग 05:30 बजे बाजार में सब्जी खरीद रहे मिन्टू सिंह एवं संतोष पर हथगोले से हमला किया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा कई लोग घायल हो गये। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई द्वारा किए गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्यारे पुत्र श्री रामनरेश, निवासी जनपद-हरदोई को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in